न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती

दिनांक	पर्चे अहकाम
	किसी प्रकार का कोई जवाब पेश नहीं किया गया। पत्रावली बहस हेतु दिनांक 11.9.17 को पेश होवे।
11.9.17	पत्रावली आज लोक अदालत विचार हेतु लिया सुनवाई में पेश हुई। विपक्ष वकील आयत व गैरसायलान की तरफ से वकील हरिओम शर्मा वकील सायलान ने निवेदन किया कि गैरसायलान को जरिये आदेश निर्णय इस आशय से पाबन्द किया जावे कि भूमि ख.नं. 1780 रकबा 0.61 हे. व [illegible] रकबा 0.50 हे. स्थित ग्राम [illegible] में से भूमि का विभाजन हुए बिना भूमि के किसी विशेष हिस्से का बेचान दीगर व्यक्ति को नहीं करे। तथा गैरसायलान नं. 3 से आदेश दिये जावे कि वे उक्त भूमि के बेचान के सम्बन्ध में यदि कोई विलेख लिखा गया हो तो उसका पंजीयन नहीं करें तथा हाल राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण नहीं करें। गैरसायलान वकील ने अपनी बहस में बताया कि गैरसायलान नं. 1 अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है कोई पूर्व में आपसी सहमति से बंटवारा पटवारा के आधार पर भूमि का बंटवारा किया गया था। गैरसायलान नं. 1 ने जवाब पेश नहीं किया और न ही कोई अन्य

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती

दिनांक	पर्चा अहकाम
	दस्तावेज पेश किये जिससे यह स्पष्ट हो सके की यह उनकी स्वअर्जित व पुश्तैनी भूमि है।
	दोनो पक्षो की बहस सुनी जाकर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भूमि खसरा 1780 रकबा 0.61 हे., 2107 रकबा 0.50 हे. स्थित ग्राम गुढाचन्द्रजी सायल व गैरसायल सं. 1 की संयुक्त खातेदारी भूमि है। जिस पर प्रत्येक हिस्से पर दोनो का काश्त करने का अधिकार है। ऐसे मे बिना विधिवत बटवारे के कोई भी पक्ष भूमि के किसीभी हिस्से का बेचान नहि कर सकते है। विवादित भूमि का मौरुस एवं बाउण्ड्री से विभाजन कराये बिना ही भूमि को दीगर व्यक्तियो को बेचान करने का गैरसायल सं. 1 को कोई अधिकार नहि है।
	अतः सायल व गैरसायल सं. 1 को विधिवत रूप से बटवारा पंजिकृत होने व तामिसला खाता जरिये [illegible] मिसिवाजा से पाबन्द किया जाता है कि वे भूमि का किसी दीगर व्यक्ति को रहन-बय नहि करें एवं रिकार्ड व मौके
	[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती

दिनांक	फर्द अहकाम
	को यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली मिसल शुमार मानी जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर शामिल वाद रहे। फैसला आज कोर्ट कैम्प खा.पे आनन्दपुरी में सुनाया गया। महेन्द्र सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नादौती